जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने फसलों को कीट/रोग से बचाने के लिए कृषको को दी सलाह।

गौतमबुद्धनगर 4 अक्टूबर 2017

जिला कृषि रक्षा अधिकारी तन्नवी शर्मा ने जनपद के समस्त कृषकों का आहवान करते हुये उन्हंे जानकारी दी है कि खरीफ की फसलों मे धान की फसल एक प्रमुख फसल है, जिसमें इस मौसम मे कीट/रोग की सम्भावना ज्यादा रहती है। उन्होने बताया कि धान का भूरा फुदका कीट के प्रौढ एवं उसके शिशु दोनों तने तथा पत्ती के निचले हिस्से से रस चूस लेते है, जिस कारण पौधे की पत्तियॉ प्रकाश संश्लेशन की क्रिया नही कर पाते, जिससे फसल को काफी हानि होती है और फसल के उत्पादन में कमी आती है। उन्हांेने इस रोग के उपचार के लिए बताया कि कृषकों के द्वारा खेत में खरपतवार न होने दिया जायें एवं फसल में 1.5 ली0 नीम ऑयल या इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 प्रतिशत एस0एल0 125 मिली0 रसायन की मात्रा को 400 से 500 ली0 पानी में मिलाकर या कार्बोफ्यूरान 3जी की 20 किग्रा0 मात्रा या मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल 20-25 किग्रा0 या फेनवेलरेट 0.4 प्रतिशत धूल 20-25 किग्रा0 मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिडकाव करें, ताकि फसलों को रोगो से बचाया जा सकें।

इसी प्रकार उन्होंने बताया कि तना छेदक कीट की सूंडिया भी धान की फसलों को काफी अत्यधिक मात्रा मे नुकसान पहुॅचाती है, जो प्रौढ सफेद रंग के होते है, जोकि सुबह के समय पत्ती के उपर पाये जाते है। तना छेदक कीट से फसलों को बचाने के लिए उन्होंने बताया कि खेतों में क्लोरोपाइरिफॉस 20 प्रतिशत ईसी रसायन की 1.5 ली0 मात्रा या मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत ईसी रसायन की 1.5 ली0 मात्रा को 800 से 900 ली0 पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिडकाव करें। उन्होने धान की फसल को बकेनी रोग से बचाने के लिए बताया कि खेत से पानी को निकालकर व खराब पौधों को खेत से निकाल कर मिट्टी में दबा दें एवं नाईट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग न करें और खेतों में 500 ग्राम कार्बेन्डाजिम के साथ 250 ग्राम मैंकोजेब रसायन की मात्रा को 500 से 600 ली0 पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिडकाव करे।

उन्होंने यह भी बताया कि कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को कृषि रक्षा यन्त्र व अन्न भण्डार बखारी राजकीय कृषि रक्षा इकाई स्तर से वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए कृषक कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकतें है एवं योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए कृषकों को अपना कृषक पंजीकरण कराना आवश्यक है। इच्छुक कृषक अपना पंजीकरण मोबाईल नम्बर, बैंक पास बुक, खतौनी व आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ जनपद के विकास खण्ड स्तर पर राजकीय कृषि रक्षा इकाई/राजकीय कृषि बीज भण्डार या जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा स्वय भी जनसेवा केन्द्र से सम्पर्क कर निशुल्क करा सकते है।